№ 003719

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 515 वर्ष 2003-2004

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि अपूर्वा वेलफेयर सोसाइटी

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथोचित निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख बाईस मास अगस्त वर्ष दो हजार तीन को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

Poonam Kumari
Manager
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

Principal
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

22.8.03
(निर) वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना ।

बि०स०मु० (निबन्धन) 1 —II—10,000—12-8-2000—पी० एन० सिंह

पत्र संख्या-बी०एम० 3 3622
09/9/2003

बिहार सरकार
निबंधन विभाग।

प्रेषक,

उप निबंधन महानिरीक्षक,
निबन्धन विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/महासचिव/सचिव/कोषाध्यक्ष श्री - - - - - - -
- - - अभूर्ता वेलफेयर सोसाइटी - - - - - - - - - -
- -
- -
ग्राम- - समस्तीपुर - - - - पोस्ट- प्रधान डाकघर समस्तीपुर
थाना- - नगर थाना - - जिला- - समस्तीपुर। - - - - - - -

विषय:- अभिप्रमाणित प्रतिलिपि निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संस्था को स्मृति-पत्र/नियमावली/आम सभा की प्रस्ताव एवं प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि निर्गत की जाती है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाए।

विश्वासभाजन,

[signature] 25-04-2014
Principal
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

Poonam Kumari
Manager
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

[signature] 5.9.03
उप निबन्धन महानिरीक्षक,
निबंधन विभाग, बिहार, पटना।

पत्र संख्या–बी०एस० ३–.............................3333/

निबन्धन महानिरीक्षक, बिहार का कार्यालय, बिहार, पटना

(दाखिल करने का प्रमाण पत्र)

अपूर्वा वेलफेयर सोसाइटी

....के संबंध में

पटना, दिनांक–22/8/2003

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित आलेख्य सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21,1860 के उपबन्धों के अनुसार आज यथावत् दाखिल/निबन्धित/अभिलिखित किया गया / किये गये।

फीस का माप 50/—(पचास) रूपये केवल।

संस्था का स्मृति पत्र / नियमावली एवं आमसभा के प्रस्ताव की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

22.8.03

वास्ते– महानिरीक्षक निबन्धन, बिहार, पटना।

सेवा में, सचिव

अपूर्वा वेलफेयर सोसाइटी
स्थान – समस्तीपुर
डाकघर – प्रधान डाकघर समस्तीपुर
थाना – नगर थाना जिला – समस्तीपुर।

की सेवा में उनके पत्र संख्या–.............................दिनांक–.....................के प्रसंग में अग्रसारित।

निबन्धन प्रमाण पत्र संलग्न है। प्राप्ति की सूचना दें।

22.8.03

वास्ते– महानिरीक्षक निबन्धन, बिहार, पटना।

25-04-2014
Principal
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

Poonam Kumari
Manager
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

निबन्धन विभाग | नया सचिवालय | बिहार, पटना

5 R$

INDIA

पाँच रुपये

पाँच रुपये

सत्यमेव जयते

FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

25-04-2014
Principal
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

Manager
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

5 R$

INDIA

पाँच रुपये

सत्यमेव जयते

FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

25-04-2014
Principal
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

Poonam Kumari
Manager
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

20 Rs.

बीस रुपये

भारत

INDIA

TWENTY RUPEES

20 Rs

Poonam Kumari

25-04-2024

Principal
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

Manager
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

20 Rs.

भारत INDIA

TWENTY RUPEES

२० रु.

20 RS

25-04-2024
Principal
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

Poonam Kumari
Manager
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

5 Rs

INDIA

पाँच रुपये

सत्यमेव जयते

FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

25-04-2014
Principal
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

Poonam Kumari
Manager
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

अपूर्वा वेलफेयर सोसाइटी
का
नियमावली

1. परिभाषा :-
(क) संस्था से अभिप्राय है - 'अपूर्वा वेलफेयर सोसाइटी'
(ख) अपूर्वा वेलफेयर सोसाइटी से अभिप्राय है - एन.आइ.ओ.एस. भोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, समस्तीपुर।
(ग) पदाधिकारी से अभिप्राय है - अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष
(घ) कार्यकारिणी समिति से अभिप्राय है - कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारीगण सदस्यगण जिनपर संस्था का कार्यभार कार्य सम्पादन हेतु सौंपा गया है ।
(ङ) वर्ष से अभिप्राय है - पहली जनवरी से एकतीस दिसम्बर तक ।
(च) वित्तीय वर्ष से अभिप्राय है - पहली अप्रैल से एकतीस मार्च तक ।

2. संस्था का नाम :- 'अपूर्वा वेलफेयर सोसाइटी' रहेगा ।

3. निबंधित कार्यालय :- संस्था का निबंधित कार्यालय स्थाई रूप से मुहल्ला-काशीपुर, डाकघर- प्रधान डाकघर, समस्तीपुर, थाना -नगर थाना, समस्तीपुर, जिला समस्तीपुर (बिहार) में रहेगा । आवश्यकतानुसार कार्यालय स्थानान्तरित किया जा सकता है ।

4. कार्यक्षेत्र :- सम्पूर्ण भारत

5. संस्था का स्वरूप व लक्षण :- संस्था अलाभकारी, गैर सम्प्रदायी एवं गैर राजनैतिक स्वंयसेवी संस्था है जो भारतीय सोसाइटी अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधित होगी ।

6. संस्था का मुख्य उद्देश्य :- स्मृति पत्र के कंडिका (4) में उल्लेखित है ।

7. सदस्यता :-
कोई भी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वे संस्था के सदस्य बन सकते हैं । समाज के नवनिर्माण में संलग्न हो, तथा संस्था के नियम एवं उद्देश्य का पालन करते हों, वे भी संस्था के सदस्य बन सकते हैं सदस्य बनने के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन करना होगा, समिति के निर्णय के अनुसार ही सदस्य मनोनीत किये जायेंगें । समिति को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये, आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर सकती है।

8. सदस्यता शुल्कः-
(क) प्रवेश शुल्क - 51/- रूपये
(ख) मासिक शुल्क - 11/- रूपये
(ग) सहयोगी सदस्य - 5/- रूपये
(घ) आजीवन सदस्य - 2525/- रूपये या इससे अधिक राशि जमा करने पर कोई भी सदस्य बन सकते हैं।

9. सदस्य के प्रकार :- सदस्य तीन प्रकार के होगें:-
(क) आजीवन सदस्य - संस्था के संस्थापक संस्था के अध्यक्ष श्री अमरकान्त लाल, सचिव श्री प्रफुल्ल चन्द्र एवं कोषाध्यक्ष श्री रामजी साह हैं, ये संस्था के आजीवन सदस्य होगें । कोई भी व्यक्ति या सदस्य 2525/- रूपये जमा करने पर ही संस्था के आजीवन सदस्य बन सकते हैं ।
(ख) संरक्षक सदस्य :- इस कोटि के सदस्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा मनोनयन किये जायेगें, ताकि संस्था के विकास एवं प्रगति में समय-समय पर सहायक होगें ।

25-04-2014
Principal
Techno [illegible] School
Samastipur, Bihar

Poonam Kumari
Manager
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

(ग) साधारण सदस्य:- कोई भी जो समाज सेवा में रूचि रखते हों, और प्रवेश शुल्क 51/-रूपये, मासिक शुल्क-11/-रूपये देगें, संस्था के साधारण सदस्य बन सकते हैं ।

10. <u>सदस्यता की समाप्ति :-</u>
(क) त्यागपत्र देने पर
(ख) मृत्यु तथा पागल होने पर
(ग) न्यायालय द्वारा दंडित होने पर
(घ) लगातार तीन माह तक सदस्यता शुल्क नहीं जमा करने पर
(ङ) लगातार तीन बैठकों में भाग नहीं लेने पर
(च) संस्था के नियम एवं उद्देश्यों का अनुपालन नहीं करने पर
(छ) अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर

11. <u>कार्यकारिणी समिति का गठन :-</u>
कार्यकारिणी समिति सात सदस्यों की होगी, जिसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव, एवं एक कोषाध्यक्ष तथा शेष चार सदस्य होगें । आवश्यकतानुसार पदाधिकारी एवं सदस्य बढ़ाये जा सकते हैं।

12. <u>कार्यकारिणी समिति का चुनाव :-</u>
(क) कार्यकारिणी समिति का चुनाव आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव पर चुनाव किया जायेगा ।
(ख) किसी कारणवश कार्यकारिणी समिति का सदस्य पद रिक्त होने पर शेष अवधि के लिए उस स्थान पर समिति के किसी भी व्यक्ति को मनोनीत किया जायेगा लेकिन आगामी आमसभा की बैठक में विधिवत् स्वीकृति ले लेनी होगी ।

13. <u>कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल :-</u>
कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

14. <u>कार्यकारिणी समिति का बैठक :-</u>
कार्यकारिणी समिति की बैठक वर्ष में तीन बार होगा । आवश्यक बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।

15. <u>कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-</u>
(क) संस्था के चल एवं अचल संपति समिति में निहित होगी ।
(ख) संस्था के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव पारित होगा ।
(ग) शाखा एवं केन्द्र राज्य के किसी भी जिले में खोलना ।
(घ) संस्था में पूर्ण समय देने वाले सदस्य को निर्वाह राशि स्वीकृत करना ।
(ङ) संस्था के आर्थिक सुदृढ़ता के लिए दान एवं अनुदान लेना ।
(च) सदस्य बनने वाले व्यक्तियों की सदस्यता स्वीकार या अस्वीकार करना ।

16. <u>पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकार :-</u>
<u>(क) अध्यक्ष:-</u>
1. संस्था की बैठक की अध्यक्षता करना ।
2. संस्था के कार्यकलापों पर नियंत्रण रखना ।

<u>(ख) सचिव:-</u>
1. संस्था की ओर से पत्राचार करना ।
2. आवश्यकतानुसार वैतनिक, अवैतनिक पारिश्रमिक पर कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति करना तथा उसके लिए समिति की स्वीकृति से सेवा नियम बनाना ।
3. आय व्यय का पूर्ण विवरण बैठक में प्रस्तुत करना ।

25-04-2019
Principal
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

Poonam Kumari
Manager
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

4. कानूनी सलाह के लिए अधिवक्ता की नियुक्ति करना ।
5. संस्था के कार्यसेवा सुदृढ़ बनाने वास्ते प्रशासन का पूर्ण उपयोग करना ।
6. आवश्यकता पड़ने पर समिति के बिना पूर्व अनुमति के चार हजार रूपये खर्च करना ।
7. संस्था के कार्यकलाप बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप सरकारी, गैर सरकारी स्थानों में संचालन करना ।
8. अवैतनिक कार्यकर्ताओं को कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर निलंबित करना ।
9. संस्था की शाखा एवं इकाई खोलने की अनुमति देना ।
10. सदस्य बनने वाले व्यक्तियों को सदस्यता स्वीकार या अस्वीकार करना ।

(ग) कोषाध्यक्ष:-

1. आय-व्यय का लेखा रखना
2. लेखा का अंकेक्षण करवाना
3. संस्था का लेखा किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत बैंक में संस्था के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से खोलना तथा किन्हीं दो पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि निकालना जिसमें सचिव का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा ।

17. आमसभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

(क) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव करना ।
(ख) अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।
(ग) संस्था के आय-व्यय पर विचार करना तथा लेखा का सत्यापन करना ।
(घ) अगले तीन वर्ष के लिए आय का स्रोत का प्राक्कलन तैयार करना ।
(ङ) अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार-विमर्श करना तथा प्रस्ताव पारित करना ।
(च) संस्था के नियमावली एवं स्मृति पत्र में संशोधन करना ।
(छ) बिहार प्रान्त के किसी भी जिले में केन्द्र तथा शाखा का संचालन करने हेतु प्रस्ताव पारित करना ।

18. आमसभा के सदस्य :-

(क) आमसभा में उपस्थित व्यक्ति 50% संरक्षक सदस्य एवं 50 प्रतिशत आजीवन सदस्य तथा साधारण सदस्य होगें ।

(ख) आमसभा में वो ही व्यक्ति भाग लेंगे जो समाज के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिये हों तथा महान नेताओं के विचार में आस्था रखते हों ।

19. संस्था के शाखा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

(क) संस्था की शाखा राज्य के किसी भी जिले तथा स्थानों में खोलना जहाँ जनहित में कार्य करने की नितान्त आवश्यकता होगी ।
(ख) जिला स्तरीय शाखा के सफल कार्यान्वयन के लिए एक उपसमिति होगी, जिसके आठ सदस्य होगें ।
(ग) प्रत्येक महीने जिला स्तरीय प्रभारियों की बैठक करना तथा प्रगति प्रतिवेदन मुख्यालय में भेजना ।
(घ) संस्था के कार्यकारिणी समिति को निदेशक के आदेशानुसार कार्य करना
(ङ) जिला स्तरीय कार्यक्रम का पूर्ण दायित्व जिला शाखा प्रभारी को होगा । असफलता का पूर्ण दायित्व जिला प्रभारी का होगा ।
(च) दिये गये राशि का दुरूपयोग होने पर जिला शाखा प्रभारी को क्षतिपूर्ति अपनी निजी चल-अचल संपति से पूर्ति करनी होगी ।

20. शाखा के निधि का आवंटन :-

निधि का आवंटन मुख्यालय के माध्यम से किया जायेगा ।

Principal
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

Poonam Kumari
Manager
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

21. <u>शाखा उप समिति के गठन एवं अधिकार तथा कर्तव्य :-</u>

(क) शाखा उपसमिति के सात सदस्य होंगें । ये सदस्य जिला स्तरीय भारी के द्वारा सदस्यों का मनोनयन हेतु मुख्यालय में नाम भेजेंगें । मुख्यालय निदेशक के स्वीकृति के पश्चात जिला उपसमिति के सदस्य मान्य होंगें ।

(ख) उपसमिति के सदस्यों को अधिकार होगा कि जिले के सभी शाखाओं पर निगरानी करना तथा उचित सलाह देना और और कार्यक्रम संचालन में सहयोग देना ।

(ग) जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करना ।

(घ) समिति के सदस्यगण पूर्ण अवैतनिक होंगें ।

(ङ) समिति के वही सदस्य मान्य होंगें जो विचार एवं व्यवहार से सामाजिक होंगें ।

22. <u>संस्था की इकाई :-</u>

संस्था की इकाई बिहार के किसी भी जिले में खोली जा सकती है, जिसकी पूर्ण प्रशासन संस्था के प्रधान कार्यालय द्वारा किया जायेगा । इसमें किसी प्रकार की समिति गठित नहीं की जायेगी कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार संस्था के निदेशक कार्य करेंगें । यानि की संस्था दो प्रकार की होगी । (शाखा-2) सीधे मुख्यालय द्वारा इकाई स्थापित संस्था के नियमावली के कंडिका 15 में शाखा को दी गई अधिकारों को ऐसी इकाईयों के लिए निरस्त माना जायेगा ।

23. <u>बैठकें :-</u>

(क) समिति की बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है, किन्तु वर्ष में कम से कम तीन बार आवश्यक होगी ।

(ख) वार्षिक आमसभा की बैठक वित्तीय वर्ष मार्च में होगी। विशेष कार्य हेतु कभी भी बुलाई जा सकती है।

(ग) अध्यक्ष 3/5 सदस्यों की लिखित मांग पर निदेशक को एक माह के अन्दर किसी भी विषय पर निर्णय हेतु साधारण आमसभा की बैठक बुलानी होगी, अगर उक्त अवधि तक निदेशक बैठक का आयोजन करते हैं तो अध्यक्ष एवं आवेदकों को अधिकार होगा कि उक्त अवधि के बाद आवेदन में लिखित विषय के विचार हेतु बैठक का आयोजन करा सकते हैं जिसकी सूचना सभी सदस्यों को विधिवत देनी होगी।

(घ) समिति की बैठक की सूचना सात दिन पूर्व तथा आवश्यक बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व देनी होगी।

(ङ) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उस दिन की बैठक की अध्यक्षता कार्यकारिणी समिति के कोई भी सदस्य करेगा।

24. <u>कोरम :-</u>

(क) किसी बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यों की 3/5 की होगी ।

(ख) निर्धारित समय के आधार पर एक घंटा बाद तक नहीं आने पर आमसभा एवं विशेष आमसभा की बैठक में कोरम की पूर्ति नहीं होने पर सभा स्थगित की जायेगी। स्थगित होने पर कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

25. <u>आय का श्रोत :-</u>

(क) प्रवेश शुल्क एवं मासिक शुल्क से

(ख) दान एवं चन्दा से

(ग) शैक्षणिक कार्यक्रमों से

(घ) सरकारी तथा गैर सरकारी माध्यमों द्वारा प्राप्त अनुदान से

(ङ) संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से

(च) मासिक शुल्क से

Principal
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

Poonam Kumari
Manager
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

26. निधि का अंकेक्षण :-
संस्था का आय व्यय का लेखा समुचित रूप से रखा जायेगा और प्रतिवर्ष आम सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक के द्वारा मार्च के बाद अंकेक्षित कराया जायेगा । निबंधन महानिरीक्षक अपने विवेक से संस्था का अंकेक्षण किसी मान्यता प्राप्त चार्टेड एकाउटेन्ट से करा सकते हैं जिसका शुल्क संस्था वहन करेगी ।

27. पंजी का निरीक्षण :-
संस्था का सभी पंजियाँ निबंधित कार्यालय में रहेगा। कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं ।

28. संस्था के स्मृति पत्र एवं नियमावली में संशोधन :-
संस्था के नियमावली एवं स्मृति पत्र में संशोधन आमसभा के द्वारा किया जायेगा । आम सभा के 3/5 व्यक्तियों द्वारा प्रस्ताव पारित के पश्चात् संशोधन किया जायेगा संशोधन की सूचना निबंधन महानिरीक्षक, निबंधन विभाग, बिहार, पटना को भेज दी जायेगी ।

29. संस्था का विघटन :-

(क) संस्था का विघटन किसी कारणवश करना पड़े तो वैसी स्थिति में आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा लिये गये निर्णय के पश्चात् किया जायेगा ।

(ख) संस्था की चल अचल संपत्ति की बिक्री कर संस्था का ऋण देय आदि को भुगतान कर दिया जायेगा। भुगतान के पश्चात जो भी संपत्ति बची रहेगी वह संपत्ति समान उद्देश्यवाली संस्था या सरकार को दे दी जायेगी ।

(ग) संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 21, 1860 की धारा 13 के अन्तर्गत सरकार का अनुरोध प्राप्त करने के बाद किया जायगा ।

अमरकान्त लाल
अध्यक्ष

प्रफुल्ल चन्द्र
सचिव

रामजी साह
कोषाध्यक्ष

सत्यापित किया

यह इसकी अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है ।

वास्ते. निबंधन महानिरीक्षक, बिहार

25-07-2024
Principal
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

Poonam Kumari
Manager
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

'अपूर्वा वेलफेयर सोसाइटी'

का

स्मृति-पत्र

1. सोसाइटी का नाम : अपूर्वा वेलफेयर सोसाइटी होगा ।

2. सोसाइटी का रजिस्ट्रिकृत कार्यालय : स्थान - समस्तीपुर, डाकघर - प्रधान डाकघर, समस्तीपुर, थाना - नगर थाना, जिला - समस्तीपुर, राज्य - बिहार रहेगा ।

3. कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष

4. इस सोसाइटी के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:-

(क) ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास हेतु सभी आयु वर्ग के लिए विभिन्न प्रकार की उपयोगी संस्थाओं की स्थापना कर उसका प्रबंध एवं प्रशासन करना ।

(ख) सभी मानव विशेषकर निर्धन, हरिजन, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिला, बच्चे तथा बुढ़े को अज्ञान अभाव और शोषण से मुक्त कराना । उनको नवचेतना एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भावना जागृत करना, स्वावलम्बी तथा अहिंसक समाज की स्थापना करने के साथ-साथ उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना एवं सभी के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित करना ।

(ग) ग्राम विकास हेतु सड़क बनवाना, पीने के लिए चापाकल लगवाने का प्रबन्ध करना, पर्यावरण एवं प्रदुषण से मुक्ति के लिए वृक्षारोपण एवं शौचालय आदि का निर्माण कराना ।

(घ) वृद्ध असहायों की सहायता करना, भोगी मुक्ति, प्रसूति केन्द्र, कुष्ठ रोगियों की सेवा एवं अनाथालय आदि की व्यवस्था करना ।

(ङ) लोगों को लाभप्रद रोजगार की व्यवस्था करना, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलना ।

(च) प्रत्येक क्षेत्र के स्त्री, पुरुषों के लिए शुद्ध पर्यावरण, कृषि एवं खादी की शिक्षा देना, उनके लिए छात्रावास, वाचनालय, पुस्तकालय एवं विभिन्न विषयों पर शिविर लगाना ।

(छ) संस्थान अपने उद्देश्य हित में अन्य जानकार लोगों से अथवा अन्य संस्थाओं से शिक्षण प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त कर सकती है । साथ ही सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं से दान, ऋण या आहार आदि सशर्त अथवा बिना शर्त के ग्रहण करेगी ।

(ज) बीमारियों की रोकथाम की व्यवस्था करना, पर्यावरण को शुद्ध करने के साथ-साथ प्राकृतिक विपदाओं में लोगों को सहायता देना तथा समाज में व्याप्त नशाखोरी, अंधविश्वास आदि को दूर करना तथा मानव संशाधन का मानव हित में उपयोग करना ।

(झ) व्यवसायिक शिक्षा - इसके लिए जीविकोपार्जन-प्रशिक्षण की व्यवस्था करना जैसे सिलाई, कढ़ाई,-बुनाई, कम्प्युटर आदि का प्रशिक्षण देना आदि ।

Principal
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

Poonam Kumari
Manager
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

5. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पता, पेशा एवं पद नीचे दिया गया है वर्तमान कार्यकारणी समिति के सदस्य हैं जिनपर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौंपा गया है :-

क्र0 नाम	पिता/पति का नाम	पद	पता	व्यवसाय
1. श्री अमरकान्त लाल	स्व0 देवेन्द्र लाल	अध्यक्ष	काशीपुर, समस्तीपुर	शिक्षण
2. श्री प्रफुल्ल चन्द्र	स्व0 दुर्गेश्वर लाल	सचिव	दलसिंहसराय, समस्तीपुर	शिक्षण
3. श्री रामजी साह	स्व0 गिल्लू साह	कोषाध्यक्ष	काशीपुर, समस्तीपुर	शिक्षण
4. श्रीमति रेशमा कुमारी	पिता श्री भगवान दास	सदस्य	पंजाबी कॉलनी, समस्तीपुर	निजी व्यवसाय
5. श्री बजरंग चौधरी 'विमल'	स्व0 शिवनन्दन चौधरी	सदस्य	काशीपुर, समस्तीपुर	अधिवक्ता
6. श्रीमति रंजिता कर्ण	पति-श्री सुशील कुमार कर्ण	सदस्य	काशीपुर, समस्तीपुर	शिक्षण
7. श्री राजेश कुमार पोद्दार	श्री चन्द्रभुषण पोद्दार	सदस्य	काशीपुर, समस्तीपुर	निजी व्यवसाय

25-04-2014
Principal
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

Poonam Kumari
Manager
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

5. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम पिता/पति का नाम, पता, पद एवं हस्ताक्षर नीचे दिया गया है। वर्तमान स्मृति पत्र के अनुसार संस्था निबंधन अधिनियम 21,1860 के अन्तर्गत निबंधन के आकांक्षी हैं :

क्र0	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पद	हस्ताक्षर
1.	श्री अमरकान्त लाल स्व0 देवेन्द्र लाल	काशीपुर, समस्तीपुर	अध्यक्ष	(हस्ताक्षर)
2.	श्री प्रफुल्ल चन्द्र स्व0 दुर्गेश्वर लाल	दलसिंहसराय, समस्तीपुर	सचिव	Rafulla
3.	श्री रामजी साह स्व0 गिल्लु साह	काशीपुर, समस्तीपुर	कोषाध्यक्ष	Ramji Sah
4.	श्रीमति रेशमा कुमारी पिता- श्री भगवान दास	पंजाबी कॉलनी, समस्तीपुर	सदस्य	Reshma
5.	श्री बजरंग चौधरी 'बिमल' स्व0 शिवनन्दन चौधरी	काशीपुर, समस्तीपुर	सदस्य	B.C. Bimal
6.	श्रीमति रंजिता कर्ण पति-श्री सुशील कुमार कर्ण	काशीपुर, समस्तीपुर	सदस्य	Ranjita Karn
7.	श्री राजेश कुमार पोद्दार श्री चन्द्रभुषण पोद्दार	काशीपुर, समस्तीपुर	सदस्य	राजेश कुमार पोद्दार

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्ति 'अनुर्वा वेलफेयर सोसाइटी' के पदाधिकार एवं सदस्य हैं। इनलोगों को मैं जानता और पहचानता हूँ जिन्होंने मेरे सामने हस्ताक्षर किया है।

हस्ताक्षर अभिप्रमाणित

Principal
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

Poonam Kumari
Manager
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

R.S.O. D.M.C.H.
Laheriasarai